रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2005/चैत्र 10, 1927
No. 134] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2005/CHAITRA 10, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

(आयकर)

सा.का.नि. 197(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और हंगरी गणराज्य की सरकार के बीच अनुबद्ध अभिसमय, उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत इस अभिसमय को प्रभावी बनाने के लिए उनके संबंधित कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा होने के बारे में दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे को इस परवर्ती अधिसूचनाओं की प्राप्ति के तीस दिन के उपरान्त 4 मार्च, 2005 को प्रवृत्त हो गया है ।

अतः अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबन्ध भारत संघ में लागू किए जाएंगे ।

[अधिसूचना सं० 127/2005/फा.सं. 500/68/95-विकप्र०]

डी० पी० सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य

और

हंगरी गणराज्य

के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य और हंगरी गणराज्य आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक अभिसमय निष्पन्न करने की इच्छा से ;

निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य की ओर से आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं ।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा अदा की जाने वाली मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों के साथ-साथ पूंजी की मूल्यवृद्धि पर करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।

3. जिन मौजूदा करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :

(क) हंगरी में : -

(i) व्यष्टियों पर आयकर ;
(ii) निगम कर ;
(iii) लाभांश कर
(जिसे इसके बाद "हंगेरियन कर" कहा जाएगा);

(ख) भारत में, आयकर जिसमें उस पर लगाने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा) ।

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने -अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद -3
सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) भौगोलिक अभिप्राय से प्रयोग किए जाने पर "हंगरी" पद का अर्थ है हंगरी गणराज्य का राज्य क्षेत्र ;

(ख) "भारत" पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र तथा उसमें इसके राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार हंगरी अथवा भारत से है ;

(घ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय ईकाई के रूप में समझा जाता है ;

(ङ) " कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है ;

(च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(छ) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान उस उक्त संविदाकारी राज्य के बीच ही चलाये जाते हों ;

(ज) " सक्षम प्राधिकारी" पद का अर्थ है :-

(i) हंगरी के मामले में : वित्त मंत्री अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
(ii) भारत के मामले में : केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(झ) "राष्ट्रिक" पद का अर्थ है :
(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ;
(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता, संस्था,कंपनी तथा अन्य सत्ता जिसे इस प्रकार की अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;

(ञ) "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है :
(i) भारत के मामले में अप्रैल माह के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वित्तीय वर्ष
(ii) हंगरी के मामले में, कैलेण्डर वर्ष :

(ट) "कर" पद का अर्थ है, संदर्भ की अपेक्षानुसार, हंगेरियन कर अथवा भारतीय कर किन्तु इसमें उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के बारे में अदा की जाने वाली कोई ऐसी राशि शामिल नहीं है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में अधिरोपित किसी अर्थदण्ड अथवा जुर्माने की द्योतक हो ।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक इस अभिसमय को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है और यह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।

अनुच्छेद - 4
निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान, निगमीकरण स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगता हो और इसमें वह राज्य और

उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण भी सम्मिलित है । तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में स्थित स्रोतों से प्राप्त आय के बारे में ही उस राज्य में कर लगाया जा सकता हो।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित केन्द्रित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान स्थित है। यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

अनुच्छेद - 5
स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है , जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) प्रबंध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) **कोई कारखाना** ;

(ङ) कोई कार्यशाला ; और

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ।

3. कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित प्रयवेक्षी कार्यकलाप तभी एक स्थायी संस्थापन बनेगा यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप नौ महीने से अधिक समय तक चलता रहता हो ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :-

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(घ) उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(ङ) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो,से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है , तो उस उद्यम का उन कार्यकलापों के संबंध में,जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है , प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी समझा जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को आदतन ;

(क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां

पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियां तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा ; और

(ख) उसे ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो ;

(ग) स्वयं उक्त उद्यम के लिए और अन्य ऐसे उद्यमों के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथोल्लिखत राज्य में आदेश प्राप्त करता है जो उस उद्यम की तरह नियंत्रण करते हों अथवा उसी तरह से नियंत्रित किए जाते हों अथवा उसी तरह के नियंत्रण के अधीन हों ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम का मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति उनके कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहें हों । तथापि, जब किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतया अथवा प्रायः पूर्णतया उस उद्यम की ओर से किए जाते हों तो वह ऐसी स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत एक स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

7. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6
अचल सम्पत्ति से आय

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो अर्थ उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार, जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार, स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7
कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी-कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण वे लाभ हुए माने जाएंगे जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, भले ही वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों ।

4. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए मात्र माल अथवा पण्य-वस्तुएं की खरीदी हैं ।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

6. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8
अन्तरराष्ट्रीय परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभ केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे ।

"लाभ" पद में उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में प्रचलित आधानों (ऐसे आधानों के परिवहन हेतु ट्रेलरों, नौकाओं और संबंधित उपस्कर सहित) के उपयोग, रख-रखाव अथवा उन्हें किराए पर देने से उससे प्राप्त होने वाली आय शामिल होगी यदि ऐसी आय अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों और वायुयानों के प्रचालन से उक्त उद्यम को प्राप्त लाभ के लिए प्रासंगिक हों ।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से सीधे तौर से संबद्ध निधियों से अर्जित सावधि निवेशों को छोड़कर बैंक लेखों से प्राप्त ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9
सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार उस पर कर लगाता है जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें वे शर्तें होंती जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होंती, तो दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद 10
लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिन लाभों में से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारिता के ऋण दावे न हों, और इसमें अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय भी शामिल है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या उस दूसरे राज्य में किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद - 11
ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. किन्तु, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस सीमा को लागू करने के तरीके का अपनी सहमति से निपटान करेंगे ।

3. पैराग्राफ (2) के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज को उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि यह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है :

(i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा

(ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेन्ट्रल बैंक ; अथवा

(iii) (क) हंगेरियन ऐक्जिम बैंक ; अथवा
(ख) हंगरी का कोई निवासी यदि हंगेरियन ऐक्जिम बैंक द्वारा दिए गए, गारंटीकृत अथवा बीमांकित कर्ज अथवा दिए गए, गारंटीकृत अथवा बीमांकित ऋण के संबंध में ब्याज अदा किया जाता हो ; अथवा

(iv) (क) भारत का निर्यात आयात बैंक (ऐक्ज़िम बैंक) ; अथवा
(ख) भारत का कोई निवासी यदि भारत के निर्यात आयात बैंक (ऐक्जिम बैंक) द्वारा दिए गए , गारंटीकृत अथवा बीमांकित कर्ज अथवा दिए गए गारंटीकृत अथवा बीमांकित ऋण के संबंध में ब्याज अदा किया जाता हो ; अथवा

(v) कोई अन्य बैंक अथवा सरकारी वित्तीय संस्था जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच परस्पर सहमति हो जाए ।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द का आशय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उसे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और खास तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज अर्जित हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋणदावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6 किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला वह राज्य स्वयं अथवा उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की गई है और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगी के आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12
रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्‌भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्‌भूत हुई हों, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमा-फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा उपग्रह, केबल, ऑप्टिक फाइबर या इसी प्रकार की किसी प्रौद्योगिकी द्वारा प्रसारण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

(ख) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस " पद का अभिप्राय - तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था सहित कोई प्रबंध-कार्य, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां शामिल हैं, परन्तु इसमें इस अभिसमय के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियां एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियां एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा ।

अनुच्छेद - 13
पूंजीगत अभिलाभ

1 अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

3. जिन अभिलाभों पर इस अनुच्छेद के पैरा 2 में विचार किया गया है उनको छोड़कर ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो किसी ऐसे स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध होती है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर जो

सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

4. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित, चल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. किसी ऐसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 14
स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता हो, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्‌भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक दिन के लिए हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दन्त-चिकित्कों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में रखता हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पोत अथवा विमान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियाँ जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7 , 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी इस अनुच्छेद में उल्लिखित आय उस संविदाकारी राज्य में कर मुक्त होगी जिसमें कि मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं । बशर्ते कि ऐसे कार्यकलाप पर्याप्त अंश में इस राज्य अथवा अन्य राज्य की लोकनिधियों से समर्थित होते हों अथवा ऐसा कार्यकलाप राज्यों के बीच में सांस्कृतिक करार के अंतर्गत किया जाता हो । ऐसे मामले में, उक्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 18

पेंशन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी भारत के किसी निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल में हंगरी की अनिवार्य पेंशन योजना के अधीन अदा की गई पेंशन और इसी तरह के अन्य पारिश्रमिकों पर केवल हंगरी में कर लगेगा ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबधों के होते हुए भी भारत अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उसमें से हंगरी के किसी निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल में अदा की गई किसी भी पेंशन पर केवल भारत में कर लगेगा ।

अनुच्छेद - 19
सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थायी प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा ।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हैं और उक्त व्यष्टि उस राज्य का निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो ; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2.. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :

(क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियां ; और

(ख) दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके द्वारा किए गए नियोजन से उसे जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है यदि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन अथवा प्रशिक्षुता द्वारा अपेक्षित हो ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु, किसी भी हालत में, किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार सात वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 21
प्रोफेसर और अध्यापक

1. कोई प्रोफेसर और अध्यापक जो दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा दूसरी ऐसी अनुमोदित संस्था में मात्र अध्यापन करने अथवा उन्नत अध्ययन (शोध कार्य सहित) करने के लिए उस संविदाकारी राज्य का कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए दौरा करता है और जो उस दौरे से तत्काल पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी था, उसे ऐसे प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राज्य के उसके पहले दौरे की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त ऐसे किसी भी पारिश्रमिक पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंध किसी ऐसे पारिश्रमिक पर लागू नहीं होंगे, जो किसी प्रोफेसर अथवा अध्यापक को शोध कार्य करने के लिए प्राप्त होंगे । यदि ऐसा शोध कार्य मुख्यतया किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है ।

3. पैराग्राफ के 1 के प्रयोजनार्थ, "अनुमोदित संस्था" का अर्थ किसी ऐसी संस्था है जिसे इस संबंध में संबंधित राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो । किसी संविदाकारी राज्य का जो सक्षम प्राधिकारी उस संस्था का अनुमोदन करेगा वह इस प्रकार से अनुमोदित की गई संस्था का नाम अन्य संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1 एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्‌भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में ही कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्रोतों से लाटरियों, वर्ग पहेलियों, घुड़दौड़ों, कार्ड गेमों और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों सहित रेसों अथवा जुएबाजी अथवा किसी भी स्वरूप की शर्त लगाने से आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद- 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. हंगरी में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्न प्रकार से किया जाएगा :

(क) जहां हंगरी का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है वहां हंगरी उप-पैरा (ख) के उपबंधों की शर्तों के अधीन ऐसी आय पर कर से छूट प्रदान करेगा ।

(ख) जहां हंगरी का कोई निवासी आय की ऐसी मदें प्राप्त करता है जिसपर अनुच्छेद 10, 11 और 12 के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां हंगरी उस निवासी की आय से भारत में अदा किए गए कर की राशि के बराबर की राशि की कटौती करने की अनुमति देगा । तथापि, ऐसी कटौती आयकर के उस अंश से जो कटौती दिए जाने से पूर्व संगणित की जाती है, अधिक नहीं होगी जो उस आय की मदों से उदभूत होती है जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है ।

2. भारत के मामले में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्न प्रकार से किया जाएगा :

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार हंगरी में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की उक्त आय पर हंगरी में अदा किए गए आयकर की बराबर की राशि की कटौती की अनुमति देगा चाहे यह आयकर प्रत्यक्ष तौर पर अदा किया गया हो अथवा स्रोत पर कटौती द्वारा । ऐसी राशि आयकर के उस अंश से जो कटौती किए जाने से पूर्व संगणित की जाती अधिक नहीं होगी जो उस आय से उद्भूत होती है, जिस पर हंगरी में कर लगाया जा सकता है ।

3. जहां किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त ऐसी आय पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होती है फिर भी वहां वह राज्य इस प्रकार के निवासी की शेष आय पर कर की राशि की गणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा ।

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर उन्हीं परिस्थितियों विशेष रूप से निवास के संबंध में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो अपने निवासियों को देता है ।

3. ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 4 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 4 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो ।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या उससे तत्संबंधित कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी प्रत्येक किस्म और विवरण के करों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 25
पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिसमय के अनुसार नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस संविदाकारी राज्य में सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार के उद्देश्य से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी करार को लागू किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो ।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे राज्य उन मामलों में भी दोहरे कराधान को हटाने के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे जिनके लिए इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हो ।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं ।

अनुच्छेद - 26
सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उक्त राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें कोई न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने में शामिल हों जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिका संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हों, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

अनुच्छेद - 27

राजनयिक एजेंट और कौंसुली अधिकारी

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक एजेंटों अथवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 28

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे ।

2. यह अभिसमय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखत अधिसूचनाओं में से बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना के तीस दिन बाद प्रभावी हो जाएगा ।

3. इस अभिसमय के उपबंध निम्नानुसार प्रभावी होंगे :

(क) भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाली किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ; और

(ख) हंगरी में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाली किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ।

4. आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए हंगरी के लोक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय जिस पर 30 अक्तूबर, 1986 को नई

दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे और उसका प्रोतोकोल जिसपर उसी तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे वे पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अनुसार इस अभिसमय के उपबंधों के लागू हो जाने के बाद निष्प्रभावी हो जाएंगे ।

अनुच्छेद - 29

समापन

यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में समापन का नोटिस देकर अभिसमय को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) **भारत में**, जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उदभूत होने वाली आय के संबंध में ;

(ख) **हंगरी में**, जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उदभूत होने वाली आय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार तीन के नवम्बर माह के तीस दिन हिन्दी, हंगेरियन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । पाठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(मुरली मनोहर जोशी)

हंगरी गणराज्य की
सरकार की ओर से
(इस्तवान सी साइलैग)

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और हंगरी गणराज्य के बीच इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय, अधोहस्ताक्षरियों ने निम्नलिखित उपबंधों पर सहमति व्यक्त की है जो इस अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे ।

अनुच्छेद 6,13 और 16 के संदर्भ में :

अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह समझा गया है कि क्रमशः अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय और अचल सम्पत्ति के अन्तरण पर प्राप्त पूंजीगत अभिलाभों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकता है । अनुच्छेद 16 के संदर्भ में यह समझा गया है कि उक्त अनुच्छेद में उल्लिखित निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद 7 के संदर्भ में :

(क) भवन स्थल अथवा निर्माण, संयोजन अथवा स्थापना परियोजना के लाभों के निर्धारण में केवल उन लाभों को उस संविदाकारी राज्य के स्थायी संस्थापन को प्राप्त लाभ समझा जाएगा जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है और इस प्रकार से स्थायी संस्थापन के कार्यकलापों से प्राप्त होने वाले लाभ होंगे । यदि मशीनरी अथवा उपस्कर की प्रधान कार्यालय अथवा उद्यम (जो उस संविदाकारी राज्य से बाहर स्थित है) के अन्य स्थायी संस्थापन से अथवा किसी अन्य व्यक्ति (जो उस संविदाकारी राज्य से बाहर स्थित है) से उन कार्यकलापों अथवा उससे स्वतंत्र कार्यकलापों के संबंध में सुपुर्दगी की जाती है तो इसे ऐसी सुपुर्दगी के मूल्य को भवन-स्थल अथवा निर्माण, संयोजन अथवा प्रस्थापना परियोजना से हुए लाभ नहीं समझा जाएगा ।

(ख) पैराग्राफ 3 के संबंध में यह समझा जाता है कि भारत के बाहर किए गए प्रशासनिक और सामान्य व्यय के लिए भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44ग के उपबंधों के अनुसार कटौती की अनुमति दी जाएगी जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हैं ।

अनुच्छेद 10 के संदर्भ में :

जब लाभांश अदा करने वाली कम्पनी भारत की निवासी हो तो संवितरित लाभों पर कर को शेयर धारकों के हाथों में लगाया गया कर समझा जाएगा और यह लाभांश की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संदर्भ में :

अनुच्छेद 10 (लाभांश), 11 (ब्याज) और 12 (रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस) के संबंध में यदि भारत और किसी तीसरे राज्य, जो कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) का सदस्य है, के बीच किसी अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल के तहत भारत लाभांश, ब्याज रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर अपने कराधान को आय की उक्त मदों पर उस दर अथवा दायरे की अपेक्षा कम दर अथवा दायरे तक सीमित करता है जिसकी इस अभिसमय में व्यवस्था की गई है । तो उक्त मदों पर उस अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल में व्यवस्थित वही दर अथवा दायरा, इस अभिसमय के तहत भी लागू होगा ।

अनुच्छेद 16 के संदर्भ में :

हंगरी के कारोबार संस्था अधिनियम (1997 का अधिनियम, CXLIV) के अनुसार किसी कम्पनी के पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्य द्वारा प्राप्त किए गए पारिश्रमिक पर अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद 20 और 21 के संदर्भ में :

इन अनुच्छेदों के प्रयोजनार्थ, किसी व्यष्टि को उस वित्तीय वर्ष में किसी संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वे जिस वित्तीय वर्ष अथवा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से तत्काल पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है ।

अनुच्छेद 24 के संदर्भ में :

(क) यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से रोकना है जो उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी किसी कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है और न ही इसका अर्थ यह होगा कि यह अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल हो । तथापि, कर की दर में अन्तर 13 प्रतिशतांक से अधिक नहीं होगी ।

(ख) अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 5 और अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक कम्पनी जो भारत की निवासी है और जिसका हंगरी में कोई स्थायी संस्थापन है, उसके स्थायी संस्थापन के लाभ पर लगने वाले कर के अतिरिक्त उस पर हंगरी में कर लगाया जा सकता है । तथापि, ऐसा अतिरिक्त कर उस स्थायी संस्थापन से उद्भूत होने वाले उद्यम के लाभों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जो हंगरी की राष्ट्रिक किसी कम्पनी के लाभों पर प्रभार्य करों से कटौती करने के बाद लगाया जाता है और जो कर हंगरी द्वारा स्थायी संस्थापन से उद्भूत होने वाले उद्यम के लाभों पर लगाया जाता है ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार तीन के नवम्बर माह के तीसवें दिन हिन्दी, हंगेरियन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया, इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । पाठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(मुरली मनोहर जोशी)

हंगरी गणराज्य की
सरकार की ओर से
(इस्तवान सी साइलैग)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2005

(INCOME-TAX)

G.S.R. 197(E).— Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Hungary for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, has come into force on the 4th day of March,

2005, thirty days after the receipt of the later of the notifications by both the Contracting States to each other, under Article 28 of the said Convention, of the completion of the procedures required under their respective laws for the entry into force of this Convention.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

[Notification No. 127/2005/F.No. 500/68/95-FTD]

D. P. SENGUPTA, Jt. Secy.

ANNEXURE

CONVENTION

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE REPUBLIC OF HUNGARY

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE

PREVENTION

OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Republic of Hungary and the Republic of India desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries,

have agreed as follows:

Article 1
PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income , including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in Hungary:

(i) the income tax on individuals;
(ii) the corporation tax;
(iii) the dividend tax;
(hereinafter referred to as "Hungarian tax");

(b) in India: the income tax, including any surcharge thereon
(hereinafter referred to as "Indian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3
GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Hungary" when used in a geographical sense means the territory of the Republic of Hungary;

(b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

(c) the terms "Contracting State", and "the other Contracting State" mean Hungary or India, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship, or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship, or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Hungary, the Minister of Finance or his authorised representative;

(ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;

(i) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership, association, company or other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

(j) the term "fiscal year" means :

(i) in the case of India, the financial year beginning on the first day of April;

(ii) in the case of Hungary, the calendar year;

(k) the term "tax" means Indian tax or Hungarian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4
RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment only if such site, project or activity lasts more than nine months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

(a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

(c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same control, as that enterprise.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7
BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profit to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
INTERNATIONAL TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

The terms "profit" shall include income derived by the enterprise from the use, maintenance or rental of containers operated in international traffic (including trailers, barges and related equipment for the transport of such containers) if such income is incidental to the profits of such enterprise from the operation of ships and aircraft in international traffic.

2. For the purposes of this Article, interest on bank accounts excluding term deposits earned on funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10
DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This

paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11
INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:

(i) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State; or

(iii) (a) the Hungarian Exim Bank; or

(b) a resident of Hungary if the interest is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured or a credit extended, guaranteed or insured by the Hungarian Exim Bank; or

(iv) (a) the Export Import Bank of India (Exim Bank); or

(b) a resident of India if the interest is paid in respect of a loan made, guranteed or insured or a credit extended, guaranteed or insured by the Export Import Bank of India (Exim Bank); or

(v) any other bank or government financial institution that may be mutually agreed upon between the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting , any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or transmission by satellite, cable, optic fibre or similar technology, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(b) the term "fees for technical services" means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Article 14 and 15 of this Convention.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information

for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13
CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

3. Gains, other than those dealt with in paragraph 2 of this Article, from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft shall be taxable only in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 2 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case,

only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

(b) if his stay in the other State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15
DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16
DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17
ARTISTES AND SPORTSPERSON

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income mentioned in this Article shall be exempt from tax in the Contracting State in which the activity of the entertainer or sportsperson is exercised provided that this activity is supported in a considerable part out of public funds of this State or of the other State or the activity is exercised under a cultural agreement between the Contracting States. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State in which the artiste or the sportsperson is a resident.

Article 18
PENSIONS

1. Pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remunerations paid under the compulsory pension system of Hungary to a resident of India in consideration of past employment shall be taxable only in Hungary.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 any pension paid by, or out of funds created by India or a political sub-division, or a local authority thereof to a resident of Hungary in consideration of past employment shall be taxable only in India.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20
STUDENTS

1 A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on:

a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and

b) remuneration which he derives from an employment which he exercises in the other Contracting State if the employment is a requirement of his studies or apprenticeship.

2 The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than seven consecutive years from the date of his first arrival in that other State.

Article 21
PROFESSORS AND TEACHERS

1. A professor or teacher who visits one of the Contracting States for a period not exceeding two years for the sole purpose of teaching or carrying out advanced study (including research) at a university, college or other approved institution in that Contracting State and who was immediately before that visit a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date he first visits that Contracting State for such purpose.

2. The preceding provisions of this Article shall not apply to remuneration which a professor or teacher receives for conducting research if the research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of paragraph 1 "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned State. The Competent Authority of a Contracting State approving the institution shall intimate the name of the institution so approved to the Competent Authority of the other Contracting State.

Article 22
OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the beneficial owner of such income, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In Hungary double taxation shall be eliminated as follows:

(a) Where a resident of Hungary derives income which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in India, Hungary shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) exempt such income from tax.

(b) Where a resident of Hungary derives items of income which, in accordance with the provisions of Article 10, 11 and 12 may be taxed in India, Hungary shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given which is attributable to such items of income which may be taxed in India.

2. In the case of India double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Hungary, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Hungary whether directly or by deduction at source. Such amount shall not however exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Hungary.

3. Where in accordance with any provisions of this Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Article 24
NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 4 of Article 11, or paragraph 4 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting

State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information so received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information (including documents) which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27
DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28
ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this Convention.

2. This Convention shall enter into force thirty days after the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of this Convention shall have effect:

(a) in India: in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force; and

(b) in Hungary: in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the Convention enters into force.

4. The Convention between the Government of the People's Republic of Hungary and the Government of the Republic of India for avoidance of double taxation with respect to taxes on income signed at New Delhi on 30th October, 1986 and the Protocol thereto signed on the same date shall cease to have effect when the provisions of this Convention become effective in accordance with the provisions of paragraph 3.

Article 29
TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination in writing at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the 1st April next following the calendar year in which the notice of termination is given;

(b) in Hungary: in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in two originals at New Delhi this 3rd day of November, 2003 in Hindi, the Hungarian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF INDIA
(Murli Manohar Joshi)

FOR THE REPUBLIC OF HUNGARY
(Istvan Csillag)

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention between the Republic of Hungary and the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention:

With reference to Articles 6, 13 and 16:

With reference to paragraphs 1 of Article 6 and Article 13 it is understood that income from immovable property and capital gains on alienation of immovable property respectively may be taxed in both the Contracting States. With reference to Article 16 it is understood that Directors' fees and other similar payments referred to in the said Article may be taxed in both the Contracting States.

With reference to Article 7:

(a) In the determination of the profits of a building site or construction, assembly or installation project there shall be attributed to that permanent establishment in the Contracting State in which the permanent establishment is situated only the profits resulting from the activities of the permanent establishment as such. If machinery or equipment is delivered from the head office or another permanent establishment of the enterprise (situated outside that Contracting State) or a third person (situated outside that Contracting State) in connection with those activities or independently therefrom there shall not be attributed to the profits of the building site or construction, assembly or installation project the value of such deliveries.

(b) With respect to paragraph 3 it is understood that the administrative and general expenses incurred outside India will be allowed as a deduction in accordance with the provisions of Section 44C of the Indian Income Tax Act, 1961, as effective on the date of the signing of this Convention.

With reference to Article 10:

When the company paying the dividends is a resident of India the tax on distributed profits shall be deemed to be taxed in the hands of the shareholders and it shall not exceed 10 per cent of the gross amount of dividend.

With reference to Articles 10, 11 and 12:

In respect of Articles 10 (Dividends), 11 (Interest) and 12 (Royalties and fees for technical services), if under any Convention, Agreement or Protocol between India and a third State which is a member of the OECD, India limits its taxation at source on dividends, interest, royalties or fees for technical services to a rate lower or a scope more restricted than the rate or scope provided for in this Convention on the said items of income, the same rate or scope as provided for in that Convention, Agreement or Protocol on the said items of income shall also apply under this Convention.

With reference to Article 16:

Remuneration received by a member of the Supervisory Board of a company as per the Act on Business Associations (Act CXLIV of 1997) of Hungary will be taxed in accordance with the provisions of Article 16.

With reference to Articles 20 and 21:

For the purposes of these Articles, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

With reference to Article 24

(a) It is understood that the provisions of Article 24 paragraph 2 shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7. However the difference in tax rate shall not exceed 13 percentage points.

(b) Notwithstanding the provisions of Article 10 paragraph 5 and Article 24 paragraph 2, a company which is a resident of India and which has a permanent establishment in Hungary may be subject to tax in Hungary in addition to the tax on profits attributable to that permanent establishment.

However such additional tax may not exceed 10 per cent of the profits of the enterprise attributable to the permanent establishment after deducting therefrom the tax on profits chargeable on the profits of a company which is a national of Hungary and imposed on the profits of the enterprise attributable to the permanent establishment by Hungary.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in two originals at New Delhi this 3rd day of November, 2003 in Hindi, the Hungarian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF INDIA
(Murli Manohar Joshi)

FOR THE REPUBLIC OF HUNGARY
(Istvan Csillag)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.